रीति रिवाज न मानने वाले गैर हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं : हाई कोर्ट

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा-मंदिर पर्यटन स्थल नहीं, प्रवेश के लिए गैर-हिंदू लें श्रद्धा का संकल्प

चेन्नई, प्रेट्र: मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि जो गैर-हिंदू श्रद्धा का संकल्प लेने या पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन करने से इन्कार करते हैं, उन्हें आगमिक मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से मंदिर की धार्मिक पवित्रता से समझौता होगा।

थंगम वेंकटेश बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस पी.मुरुगन ने फैसला दिया है कि दूसरे धर्म के चिह्न धारण करने वाले और मंदिर के संबंधित देवता के प्रति श्रद्धा व्यक्त नहीं करने वाले गैर-हिंदुओं को आगमिक मंदिर परिसर के किसी भी हिस्से में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह पाबंदी केवल ध्वजस्तंभ के आगे के हिस्से तक सीमित नहीं है। अदालत ने कहा कि मंदिर कोई पर्यटन स्थल नहीं है। प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर किए बिना प्रवेश की अनुमति देने से मंदिर की पवित्रता भंग होगी। जनहित याचिका में तमिलनाडु मंदिर प्रवेश प्राधिकरण अधिनियम को सख्ती से लागू करने और कानूनी प्रविधानों के उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की गई थी। आगमिक मंदिर वह हिंदू मंदिर है, जिसका निर्माण, प्रतिष्ठा और रखरखाव आगम शास्त्रों के अनुसार किया जाता है। ये प्राचीन ग्रंथ मंदिर से जुड़ी हर परंपरा व व्यवस्था का निर्देश देते हैं।

- जोसेफ विजय के संकल्प का किया उल्लेख, कहा-जिन्हें इससे इन्कार है उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा
- कहा-प्रवेश को लेकर संबंधित मंदिर की धार्मिक परंपराओं और नियमों का सम्मान किया जाए

नियमों के गंभीर उल्लंघनों का उल्लेख

अदालत ने हाल के गंभीर उल्लंघनों का उल्लेख कर कहा कि विधायक बदरुद्दीन मुस्तफा चुनाव जीतने के बाद मीनाक्षी मंदिर में यह दावा करते हुए गए कि उन्हें सुविधाओं का निरीक्षण करने का अधिकार है। उन्होंने कुंभाभिषेक के दौरान मंदिर के शिखरों पर भी चढ़ाई की, जबकि उनका कहना था कि सनातन धर्म का उन्मूलन किया जाए। खंडपीठ ने कहा कि ईसाई धर्मावलंबी एक मंत्री बिना प्रतिज्ञा-पत्र दिए तिरुचेंदूर मंदिर में दाखिल हुए थे। अदालत ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर कर देवी मीनाक्षी के मंदिर में पूजा करने का उदाहरण भी दिया। कोर्ट ने कहा कि ईसाई धर्मावलंबी होने के बावजूद उनसे मतांतरण के लिए नहीं, बल्कि देवता के प्रति श्रद्धा की पुष्टि करने को कहा गया था।

दिखावे पर भी सवाल

खंडपीठ ने राजनीतिक संस्कृति में "चमचागिरी" और दिखावे पर भी सवाल उठाए। राजनीतिक दिखावे की आलोचना करते हुए गैर-हिंदू धर्मों से जुड़े उन नेताओं का जिक्र किया, जो मंदिरों में जाते समय माथे पर धार्मिक चिह्न लगाकर इसे खुलकर प्रदर्शित करते हैं। ऐसा केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है। खंडपीठ ने कहा,"ऐसे प्रदर्शन का वोटों के लिहाज से महत्व स्पष्ट है। हमारा मानना है कि मंदिर की परंपराएं और रीति-रिवाज ऐसी चमचागिरी और दिखावे के आगे नहीं झुक सकते।" पीठ ने तिरुवन्नामले अरुणाचलेश्वर मंदिर में टोपी पहने लोगों का एक वीडियो देखने का उल्लेख किया, जिसमें वे श्रद्धालुओं के विरोध के बावजूद मंदिर में घुसते दिखे, जबकि कर्मी मूकदर्शक रहे।

एनएचएआइ ने हाईवे प्रोजेक्ट के लिए तय की निर्माण अवधि

जितेंद्र शर्मा●जागरण

अब सिर्फ सड़क की लंबाई नहीं होगी आधार, देखी जाएगी कुल लागत व भौगोलिक जटिलता

नई दिल्ली : अब तक हाईवे परियोजनाओं में सामान्यतः सिर्फ सड़क की लंबाई के आधार पर उसकी समय अवधि निर्धारित कर दी जाती थी। इसके बाद जब भौगोलिक परिस्थितियों या अन्य तकनीकी चुनौतियों के कारण उसमें विलंब होता तो परियोजना की लागत बढ़ती, आर्बिट्रेशन या विवाद की स्थिति भी बनती। इस समस्या को दूर करने के लिए एनएचएआइ ने अलग-अलग परिस्थितियों की परियोजनाओं के लिए निर्माण अवधि तय कर दी है। यह व्यवस्था हाईवे निर्माण के तीनों प्रकार के अनुबंध हाइब्रिड एन्युटी माडल, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन और बिल्ड, आपरेट एंड ट्रांसफर पर लागू होगी। एनएचएआइ ने तय कर दिया है कि मैदानी और सामान्य पहाड़ी क्षेत्र में कुल सिविल लागत को देखते हुए आधार निर्माण अवधि लागू होगी। इसमें 300 करोड़ रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 12 महीने, 301 से 500 करोड़ रुपये तक 18 महीने, 501 से 1500 करोड़ वाली परियोजनाओं के लिए 24 महीने और 1500 करोड़ से अधिक सिविल लागत की परियोजनाओं के लिए 30 महीने आधार निर्माण अवधि होगी।

युवाओं को जेन जी, जेन अल्फा में न बांटें : नितिन नवीन

पणजी, प्रेट्र : भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि युवाओं को जेन जी, जेन अल्फा या दूसरी पीढ़ियों के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति कड़ी मेहनत और दृढ़ता से बदलाव लाने की कोशिश करता है, उसे युवा माना जाना चाहिए।

पणजी में भाजपा की ओर से आयोजित 'युवा संवाद' कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि युवाओं की पहचान केवल उम्र से नहीं होनी चाहिए। जब तक किसी व्यक्ति में बदलाव लाने और जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा है, वह युवा है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब देश के कई हिस्सों में युवाओं के नेतृत्व में प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में जेन जी शामिल रहे हैं।

Office of the Municipal Council, Kangra Distt. Kangra (H.P.)-176001
No. MC/Kangra/Tender/2026-1191-1197 Dated:-24/10/2026

NOTICE INVITING TENDERS

Sealed items rate tenders for Carrying out structural analysis & design including supplying of detailed drawings are hereby invited by the Assistant Engineer, Municipal Council Kangra HP on behalf of Municipal Council Kangra for the following works from the approved and eligible Consultant Agency in appropriate class. So as to reach in the office of undersign on or before **03-11-2026 up to 3:00 PM 03-11-2026** and the same will be opened at **3.30 PM** in the presence of the Consultant Agency or their authorized representatives who may wish to be present. The tender forms can be had from this office against cash payment (non-refundable) on any working day up to **11:00 AM, 03-11-2026.**

S. N.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of Form	Time Allowed
1.	Construction of Parking and Commercial Building at Kangra, Himachal Pradesh, for Municipal Council Kangra (SH- Carrying out structural analysis & design including supplying of detailed drawings.	471017	10000	350	3 Month

Other terms & condition may be seen in Municipal Council Kangra at any working days.

Senior Executive Officer
Municipal Council, Kangra (H.P.)



दैनिक जागरण मेगा ड्रा की विजेता सुधा कुशवाहा को कार्यालय परिसर में कार की चाबी भेंट करते दैनिक जागरण के निदेशक संदीप गुप्त●जागरण

जौहर विश्वविद्यालय की 426.46 करोड़ की संपत्ति ईडी ने की कुर्क

राज्य ब्यूरो, जागरण●लखनऊ : ईडी ने रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य 426.46 करोड़ रुपये है, इसका वर्तमान बाजार मूल्य करीब 1170 करोड़ रुपये आंका गया है। हालांकि ईडी की कार्रवाई में विश्वविद्यालय का संचालन बंद करने, कक्षाएं रोकने या उसकी मान्यता समाप्त करने का कोई आदेश नहीं है। ईडी ने यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां और अन्य के विरुद्ध चल रही मनी लांड्रिंग की जांच के तहत की है। ईडी को जांच में विश्वविद्यालय परिसर निर्माण पर हुए खर्च और ट्रस्ट की ओर से घोषित पूंजीगत व्यय में बड़ा अंतर मिला है।

विश्वविद्यालय परिसर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अधीन है।

उत्तर रेलवे

ई-नीलामी सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक/ एफ.एस., उत्तर रेलवे, अंबाला मंडल आईआरईपीएस वेबसाइट पर ई नीलामी लीजिंग के माध्यम से अंबाला मंडल के अंतर्गत विभिन्न मेल/ एक्सप्रेस ट्रेनों में ब्रेक के एस.एल.आर./ एस.एल.आर.डी. डिब्बों में पार्सल स्पेस (4/3.9 टन) के लीज अनुबंध हेतु निविदाएँ आमंत्रित करते हैं। निम्नलिखित विवरणानुसार, निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

नीलामी केटलाग सं.	नीलामी शुरू होने की दिनांक एवं समय	नीलामी समाप्त होने की दिनांक एवं समय
1. UMB-SLR-13-2026 (15 लॉट)	06.11.2026/12:00	06.11.2026/14:50
ट्रेन सं.	से – तक	कम्पार्टमेंट
20990	CDG-UDZ	FSLR-I
19412	DLPC-GNC	FSLR-1
14503	KLK-SVDK	FSLR-1
19308	UHL-INDB	FSLR-I
14332	KLK-DLI	FSLR-1
22456	KLK-SNSI	FSLR-2
14522	UMB-DLI	FSLR-I
14722	ABS-JU	FSLR-1
12326	AADR-KOAA	RSLR-1
14524	UMB-BJU	FSLR-2
14218	CDG-PYGS	RSLR-I
12232	CDG-LKO	FSLR-1
22710	AADR-NED	FSLR-I
15012	CDG-LJN	FSLR-1
14733	BTI-JP	FSLR-1

ई-नीलामी में भाग लेने या ई-नीलामी प्रक्रिया से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को **www.ireps.gov.in** वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 3767/2026

थाना SGM नगर जिला फरीदाबाद

DD नं. 37 तिथि 19.10.2026 धारा 194 BNSS थाना SGM नगर फरी0।

नामपता नामालूम नाश की शिनाख्त बारे



आम जनता को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति, बी.पी. ठाकुर, पता अज्ञात, उम्र 50 वर्ष, जिसकी तिथि 18.10.2026 को अज्ञात बीमारी की हालत में बी.के. अस्पताल FBD के मेडिकल वार्ड में मृत्यु हो गई है। उसके शव को पहचान के लिए बी.के. अस्पताल फरीदाबाद की मोर्चरी में रखा गया है। उसके शरीर पर अस्पताल का गाउन है और पैरों में कुछ नहीं पहना है। उसका **हुलिया:** रंग काला, चौकोर चेहरा, मुरझाया हुआ है। शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है। सामान्य शरीर, कद 5 फुट 6 इंच, उम्र 50 वर्ष। यदि किसी को इस संबंध में कोई सूचना मिले तो निम्नलिखित नंबरों पर सूचित करें।

प्रबंधक अधिकारी, थाना SGM नगर फरी0---9582200130
पुलिस चौकी टाउन न० 3 NIT – 9582200160
ASI राजकुमार PP टाउन न० 3- मो. 7015401190

राजकुमार एएसआई
पुलिस चौकी टाउन न० 3
थाना SGM नगर फरीदाबाद

PRDH : 1084/11/5533/2027/50577/67/4

"दैनिक जागरण" के मेगा ड्रा की विजेता सुधा को मिली कार

- निदेशक संदीप गुप्त ने सौंपी ग्रैंड विटारा की चाबी तो सुधा बोलीं-सपना हुआ सच
- पहले नाम की हुई थी घोषणा, कहा-जागरण के समाचारों पर रहता पूरा विश्वास

जागरण संवाददाता, कानपुर : "दैनिक जागरण" की ओर से आयोजित मेगा ड्रा में ग्रैंड विटारा कार का पुरस्कार पनकी के रतनपुर निवासी सुधा कुशवाहा के नाम निकला था। बुधवार को सर्वोदय नगर स्थित कार्यालय में "दैनिक जागरण" के निदेशक संदीप गुप्त ने सुधा को चाबी सौंपकर कार भेंट की। कार मिलने की खुशी में सुधा भावुक हो गईं। वह अपने परिवार के साथ उपहार लेने आई थीं।

सुधा कुशवाहा ने बताया कि 20 सितंबर के "दैनिक जागरण" के अंक में अपना नाम प्रकाशित होने पर उन्हें कार जीतने की जानकारी मिली थी। इसके बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि वह वर्ष 1996 से "दैनिक जागरण" पढ़ रही हैं। अखबार की ओर से इतना बड़ा उपहार मिलने पर बेहद खुश हैं। उन्होंने "दैनिक जागरण" के प्रति आभार जताते हुए कहा कि कार खरीद पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में मेगा ड्रा के जरिये कार मिलना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। उन्हें "दैनिक जागरण" के समाचारों पर विश्वास रहता है। सुधा ने बताया कि उनके पति मनोज कुमार बीएसएनएल में कार्यरत हैं। "दैनिक जागरण" समाचार पत्र से हुए ज्ञानवर्धन की वजह से पति मनोज सरकारी नौकरी पाने में सफल रहे। कार भेंट किए जाने के दौरान उनके पति मनोज व ससुर मुंशीलाल भी उपस्थित रहे।

हरियाणा सरकार — निविदा सूचना

क्र. सं.	बोर्ड /निगम/ प्राधिकरण का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	खोलने की तिथि बंद होने की तिथि (समय)	राशि/ईएमडी (लगभग) रुपये में	बोर्ड/ निगम/ प्राधिकरण की वेबसाइट	नोडल अधिकारी/ संपर्क विवरण/ ईमेल
1	नगर निगम रोहतक	शेष सड़कों में आई.पी.बी. टाइल्स की व्यवस्था करना और लगाना, जिनमें रोड आईडी - ULB_RTK_00180, ULB_RTK_00072, ULB_RTK_00179, ULB_RTK_00071, ULB_RTK_00070, ULB_RTK_00074, ULB_RTK_00073, ULB_RTK_00215 शामिल हैं, सूर्य नगर एक्सटेंशन 04, 33 फीट रोड के पीछे, वार्ड संख्या-01, एम.सी. रोहतक।	27.10.2026 02.11.2026	56.68 LACS	https:// etenders.hry. nic.in	9467283967 xenmcrohtak@gmail. com
2	नगर निगम रोहतक	म्हारी सड़क, हरपथ, समाधान शिविर सोशल मीडिया और सीएम विंडो पोर्टल पर प्राप्त गड्ढों और पैच की दिन-प्रतिदिन की शिकायतों के समाधान के लिए सड़कों और गलियों की मरम्मत, वार्ड संख्या 1 से 22 नगर निगम रोहतक में।	27.10.2026 05.11.2026	97.25 LACS	https:// etenders.hry. nic.in	9467283967 xenmcrohtak@gmail. com
3	नगर निगम रोहतक	दीपावली के अवसर पर रोहतक शहर (2026) के सौंदर्यीकरण के लिए विभिन्न चौकों और मुख्य बाजारों में लड्डी और इलेक्ट्रिक एलईडी गेट की आपूर्ति और स्थापना।	27.10.2026 02.11.2026	17.30 LACS	https:// etenders.hry. nic.in	9467283967 xenmcrohtak@gmail. com

PRDH-13/2027/80/50552/I/67/4

आगामी जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं :
www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in

SBI भारतीय स्टेट बैंक — तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा

तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा
पता: -एससीओ 99-107, प्रथम तल, सैक्टर 8-सी, चंडीगढ, ई-मेल: sbi.04262@sbi.co.in

ई-नीलामी 16.11.2026 को 11.00 बजे से 16.00 बजे

चल/अचल संपत्ति की 16.11.2026, 11:00 बजे से 16:00 बजे को बिक्री हेतु ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

बोलीदाता के ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ईएमडी (ऑनलाईन) ईएमडी राशि जमा किए जाने की अंतिम तिथि 16.11.2026 को 15:50 बजे तक

चल / अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) के परंतुक एवं नियम 8(6) के साथ पठित।

आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणी/ऋणकर्ताओं और गारंटरों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में गिरवी रखी गई है। जिस पर बैंक का प्रभार है, तथा जिसका भौतिक कब्जा सुरक्षित ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे दिनांक **16.11.2026** को "जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो है" तथा "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। यह बिक्री सुरक्षित ऋणदाता की बकाया राशि की वसूली हेतु की जा रही है दिनांक **31.03.2017** तक कुल बकाया राशि **8,35,72,297.58** (आठ करोड़ पैंतीस लाख बहत्तर हजार दो सौ सत्तानवे रुपये और अट्ठावन पैसे मात्र) है इस राशि पर भविष्य का ब्याज तथा अन्य आनुषंगिक खर्चे भी देय होंगे, जैसा कि **SARFAESI** अधिनियम, **2002** की धारा **13(2)** के अंतर्गत दिनांक **17.04.2017** को जारी मांग नोटिस में उल्लेखित है उक्त राशि सुरक्षित ऋणदाता को निम्नलिखित ऋणी कंपनी एवं गारंटरों से वसूल करनी है:- ऋणी **मैसर्स अनुभूति लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड तथा गारंटर: - (1)** श्री राजिंदर गर्ग (2) श्री राज कुमार

चल/अचल संपत्ति (सुरक्षित परिसंपत्ति) का विवरण, उसका आरक्षित मूल्य, जमा की जाने वाली बयाना राशि, बोली में वृद्धि की राशि तथा ई.नीलामी का समय निम्नानुसार है:-

क्र. सं	शाखा का नाम	उधारकर्ता(ओं) / जमानतदार(ओं) का नाम	संपत्ति(यों) का विवरण/ संपत्ति आईडी	बकाया राशि / कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय / ई-नीलामी की तिथि/समय	संपर्क व्यक्ति
1.	SAMB, SECTOR 8-C, CHANDIGARH	मेसर्स अनुभूति लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड (ऋणी) और गारंटर (1) श्री राजेंदर गर्ग (2) श्री राज कुमार	संपत्ति-I:- श्री राजिंदर गर्ग पुत्र श्री दीन दयाल गर्ग के नाम पर दर्ज औद्योगिक भूमि (जिस पर कुल 22,050 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्रफल वाली कोल्ड स्टोरेज की इमारत बनी हुई है। उक्त संपत्ति का कुल क्षेत्रफल 12 कनाल 6 मरला 1 सरसाई है, जिसका विवरण निम्नलिखित दो (02) वसीका/बिक्री विलेखों के अनुसार है:-	दिनांक 31.03.2017 तक कुल बकाया राशि 8,35,72,297.58 (आठ करोड़ पैंतीस लाख बहत्तर हजार दो सौ सत्तानवे रुपये और अट्ठावन पैसे मात्र) है इस राशि पर भविष्य का ब्याज तथा अन्य आनुषंगिक खर्चे भी देय होंगे, जैसा कि SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 17.04.2017 को जारी मांग नोटिस में उल्लेखित है	PROPERTY-I:- Rs. 5,10,00,000/- Rs. 51,00,000/- Rs. 5,00,000/-	12.11.2026 11:00 Hrs. to 13:00 Hrs. 16.11.2026 11:00 Hrs. to 16:00 Hrs.	CLO M: 95604-86505 Case Officer:- M.: 96620-31737

(क) बिक्री विलेख संख्या 11547, जो उप.पंजीयक कार्यालय, डेराबस्सी में दिनांक 14.12.2010 को पंजीकृत किया गया था खाता संख्या 11/30, खसरा संख्या 56//20 मिन, क्षेत्रफल 07 कनाल 06 मरला 06 सरसाई यह भूमि ग्राम मुबारिकपुर, तहसील डेराबस्सी, जिला मोहाली, पंजाब में स्थित है, जिसका विवरण वर्ष 2005-06 की जमाबंदी के अनुसार है
(ख) बिक्री विलेख संख्या 11549,जो उप.पंजीयक कार्यालय, डेराबस्सी में दिनांक 14.12.2010 को पंजीकृत किया गया था खाता संख्या 11/30, खसरा संख्या 56//19 मिन, क्षेत्रफल 04 कनाल 19 मरला 04 सरसाई यह भूमि ग्राम मुबारिकपुर, तहसील डेराबस्सी, जिला मोहाली, पंजाब में स्थित है, जिसका विवरण वर्ष 2005-06 की जमाबंदी के अनुसार है
BAANKNET पोर्टल पर संपत्ति की ID संख्या: **SBIN1563103002**

संपत्ति	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	निरीक्षण / ई-नीलामी	संपर्क व्यक्ति
संपत्ति-II: ऋणी कंपनी के नाम पर दर्ज प्लांट एवं मशीनरी, जिसे बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता से स्थापित किया गया है और जो ग्राम मुबारिकपुर, तहसील डेराबस्सी, जिला मोहाली, पंजाब में स्थित फैक्ट्री की भूमि एवं भवन में लगाई गई है (भूमि का विवरण उपरोक्त मद संख्या 1 में दिया गया है) BAANKNET पोर्टल पर संपत्ति की ID संख्या: SBIN1563103003	PROPERTY-II:- Rs. 18,00,000/- Rs. 1,80,000/- Rs. 50,000/-	12.11.2026 11:00 Hrs. to 13:00 Hrs. 16.11.2026 11:00 Hrs. to 16:00 Hrs.	CLO M: 95604-86505 Case Officer:- M.: 96620-31737

नोट:- यह नीलामी भारतीय स्टेट बैंक के सभी सूचीबद्ध रिकवरी एजेंटों के लिए खुली है।
भूमि एवं भवन (संपत्ति ID: SBIN1563103002) की बिक्री की पुष्टि केवल प्लांट एवं मशीनरी (संपत्ति ID: SBIN1563103003) की बिक्री के पुष्टि होने के बाद ही की जाएगी।
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट https://www.sbi.bank.in तथा https://Baanknet.com/eauction पर उपलब्ध जानकारी देखें।

दिनांक: 23.10.2026 स्थान: चंडीगढ़ प्राधिकृत अधिकारी

SBI भारतीय स्टेट बैंक — स्ट्रेस्ड एसेट्स मैनेजमेंट ब्रांच

एस.सी.ओ. 99-107, पहली मंजिल, सेक्टर 8-सी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़, ई-मेल: sbi.04262@sbi.co.in, team3samb.cha@sbi.co.in

ई-नीलामी 18.11.2026 को 11:00 बजे से 16:00 बजे तक

अचल संपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना 18.11.2026 को 11:00 बजे से 16:00 बजे तक

ईएमडी (ऑनलाइन) ईएमडी राशि जमा करने की अंतिम तिथि बोलीदाता के ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में 18.11.2026 को 15:50 बजे तक

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और जमानतीदारों को सूचित किया जाता है कि **भारतीय स्टेट बैंक** (सुरक्षित लेनदार) को बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्तियों, जिनका रचनात्मक/प्रतीकात्मक/भौतिक कब्जा **भारतीय स्टेट बैंक** (सुरक्षित लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को **"जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है"** के आधार पर 18.11.2026 को बैंक के बकाया + ब्याज (इन संपत्तियों के विरुद्ध नीचे उल्लिखित) की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं/जमानतीदारों से बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि की राशि संपत्तियों के विरुद्ध नीचे उल्लिखित होगी।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट: https://sbi.bank.in और/या https://baanknet.com देखें।

क्रं. सं.	शाखा का नाम / संपत्ति आईडी सं.	उधारकर्ता (ओं) / जमानतीदार (ओं) का नाम	संपत्ति (यों) का विवरण	बकाया राशि / मांग सूचना की तिथि / कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली वृद्धि राशि	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय / ई-नीलामी की तिथि / समय	संपर्क व्यक्ति
1.	एसएएमबी, सेक्टर 8-सी, चंडीगढ़ SBINYBTPROP1	(1) **मेसर्स यमुना बरदाना ट्रेडर्स,** एम-31, पुलिस स्टेशन के पीछे, औद्योगिक क्षेत्र, यमुनानगर, जिला यमुनानगर (हरियाणा) - 135001. **(2) श्री अश्विनी ओबेरॉय** पुत्र संत राम (साझेदार और जमानतीदार: मेसर्स यमुना बरदाना ट्रेडर्स), मकान नंबर 461-आर, मॉडल टाउन, यमुनानगर (हरियाणा) - 135001 **(3) श्रीमती कमलेश रानी ओबेरॉय** पत्नी श्री अश्विनी कुमार ओबेरॉय (जमानतीदार: मेसर्स यमुना बरदाना ट्रेडर्स), मकान नंबर 461-आर, मॉडल टाउन, यमुनानगर (हरियाणा) - 135001 **(4) श्रीमती गौरी रानी ओबेरॉय** पत्नी श्री सुनील कुमार ओबेरॉय (जमानतीदार: मेसर्स यमुना बरदाना ट्रेडर्स), मकान नंबर 109, शास्त्री कॉलोनी, यमुना नगर (हरियाणा) - 135001 **(5) श्री सुनील कुमार** ओबेरॉय पुत्र संत राम (साझेदार और जमानतीदार: मेसर्स यमुना बरदाना ट्रेडर्स), मकान नंबर 109, शास्त्री कॉलोनी, यमुना नगर (हरियाणा) - 135001.	खेवट नंबर 340, खतौनी नंबर 401, खसरा नंबर 99/3(7-16) में स्थित 7बी-16बी भूमि में से 125/312 हिस्सेदारी वाली 3बी-2.5बी माप की चारदीवारी सहित भूमि, जो ओल्ड कोर्ट रोड, शेवरले शोरूम के पास, जगाधरी मौजा घरी मुंडो एच.बी. नंबर 408, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर, यमुनानगर में श्रीमती कमलेश रानी पत्नी श्री अश्विनी कुमार ओबेरॉय, निवासी मकान नंबर 461-आर, मॉडल टाउन, यमुनानगर और श्रीमती गौरी ओबेरॉय पत्नी श्री सुनील कुमार ओबेरॉय, निवासी मकान नंबर 109, शास्त्री कॉलोनी, यमुनानगर के नाम पर पंजीकृत बिक्री विलेख संख्या 12675 तिथि 24.02.2012 के अनुसार, जिसे तातिमा बिक्री विलेख संख्या 4212 तिथि 03.08.2012 के साथ संयुक्त/उप-रजिस्ट्रार, जगाधरी के कार्यालय में विधिवत पंजीकृत किया गया है, और जमाबंदी वर्ष 2006-07 के साथ उत्परिवर्तन संख्या 2858 के अनुसार यमुनानगर की नगरपालिका सीमा के भीतर स्थित है और जिसकी **सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तर:** 104'-6" श्रीमती कमलेश रानी का प्लॉट; **दक्षिण:** 10'-6" अन्य की संपत्ति; **पूर्व:** 268'-10" 4 गाथा चौड़ा रास्ता; **पश्चिम:** 268'-10" अन्य की संपत्ति।	3,88,62,886/- रुपये तिथि 19.12.2019 तक भविष्य के ब्याज और आकस्मिक खर्चों, लागत आदि के साथ। 20.12.2019 भौतिक कब्जा	रु. 11,28,00,000/- रु. 1,12,80,000/- रु. 2,00,000/-	12.11.2026 दोप. 01:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक 18.11.2026 11:00 बजे से 16:00 बजे तक	मो.: 9872266118

सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार, अब उपरोक्त अचल संपत्तियों को सार्वजनिक ई-नीलामी के माध्यम से बेचा जाना प्रस्तावित है, जो 18.11.2026 को 11:00 बजे से 16:00 बजे तक https://baanknet.com पर आयोजित की जाएगी। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट: https://sbi.bank.in और/या https://baanknet.com देखें।

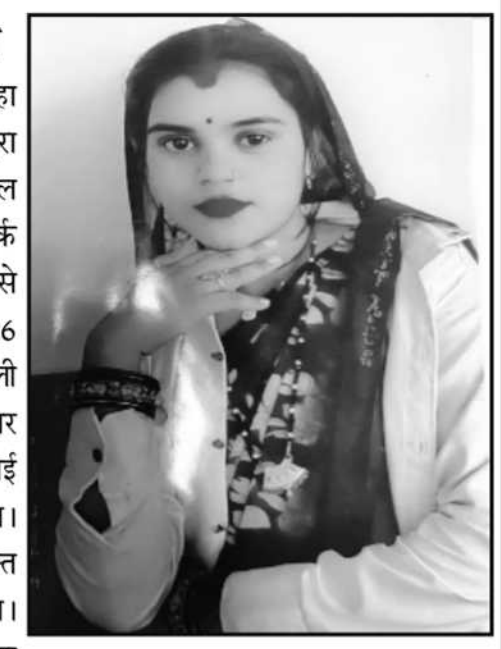
तिथि: 28.10.2026 स्थान: चंडीगढ़ प्राधिकृत अधिकारी

थाना सैक्टर 10 जिला गुरुग्राम

इस्तेहार शोरे गोगा

FIR No. 605 Dt. 22.09.26 U/S 127 (6) BNS PS SEC-10A, GURGAON

गुमशुदा की तलाश



गुमशुदा महिला कमला कुशवाहा पत्नी हरिचरण निवासी बिसानपुरा जिला टीकमगढ़ MP, हाल किरायेदार सिग्नेचर ग्लोबल पार्क लेबर कैम्प सैक्टर-93 गुरुग्राम से बिना बताए दिनांक 19.09.2026 को सुबह कहीं अपनी मर्जी से चली गई है, जिसका हुलिया इस प्रकार है :- रंग गोरा, चेहरा गोल, कलाई पर चोट का निशान, उम्र 21 साल। काफी तलाश के बाद भी उक्त महिला का कोई पता नहीं चला। अगर किसी को इस महिला कमला कुशवाहा के बारे में पता चले तो निम्न फोन नंबरों पर संपर्क करें।

09667790600, 9170617682, 9467646798 एवं 9999981836
मिलने पर प्रबंधक थाना सैक्टर-10 गुरुग्राम को सूचित करें।

पुलिस चौकी सैक्टर-93 गुरुग्राम

PRDH : 1084/11/5532/2027/50566/67/4

कार्यालय पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, सोनीपत।

मु.न. 289 तिथि 25.10.2026 धारा 127(6) बी.एन.एस. थाना सेक्टर 27 सोनीपत जिला सोनीपत।

गुमशुदा की पहचान



नाम- रोहित यादव ।
पिता का नाम- कुन्जल यादव ।
पता - वासी हाल द्वारिका दास पेट्रोल पंप मुरथल रोड जिला सोनीपत ।
उम्र - 22 वर्ष ।
कद- 5 फुट 4 इंच ।
हुलिया:- रंग गोरा, गोल चेहरा, काले बाल, काली आँखे ।
पहनावा - काले रंग की शर्ट व काले रंग की पेन्ट पहने हुए है।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि तिथि 14.09.2026 को रोहित यादव पुत्र कुन्जल यादव वासी हाल द्वारिका दास पेट्रोल पंप मुरथल रोड जिला सोनीपत, बिना किसी को बताए घर से कहीं चला गया था। जो अब तक घर वापिस नही आया हैं। जिस सम्बन्ध में उपरोक्त मुकदमा थाना में दर्ज रजिस्टर है। अगर किसी को उपरोक्त गुमशुदगी बारे कोई सूचना मिलती हैं तो निम्नलिखित नंबरो पर सूचित करें।

प्रबन्धक थाना मो० न० - 7419410535
अनुसंधानकर्ता मो० न०- 9466904479
कन्ट्रोल रूम सोनीपत- 0130-2222903,100

अपराध अभिलेख अधिकारी,
कृते पुलिस उपायुक्त,
मुख्यालय, सोनीपत ।

PRDH : 1084/11/5528/2027/50549/67/4

पुलिस थाना सैक्टर 10ए जिला गुरुग्राम

एफआईआर संख्या 438 तिथि 23.06.2026 धारा 127 (6) पुलिस थाना सैक्टर 10 ए जिला गुरुग्राम

गुमशुदा की तलाश



सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त एफआईआर में गुमशुदा महिला प्रीति देवी पत्नी संजीव कुमार निवासी ग्राम सुतहा थाना तालग्राम जिला कन्नौज यूपी, वर्तमान में किरायेदार मकान मूलचंद गली नंबर 7 ग्राम कादीपुर गुरुग्राम, उम्र 29 वर्ष, जो अपनी बेटी नाम चाँदनी, उम्र 3 वर्ष 6 महीने, के साथ तिथि 19.06.2026 से घर से बिना बताए चली गई है, जिनका हुलिया इस प्रकार है:

हुलिया प्रीति देवी - रंग गोरा, चेहरा गोल, पतला शरीर, दाहिने हाथ की कलाई पर सुरमा से प्रीति लिखा हुआ है। कद 5 फुट 1 इंच एवं उम्र 29 वर्ष।

यदि उपरोक्त महिला बारे कोई पता सुराग चले तो निम्नलिखित नंबरों पर सूचित करें।

प्रबंधक थाना सैक्टर 10A, गुरुग्राम - 9999981836
इंचार्ज पुलिस चौकी सैक्टर 93 गुरुग्राम - 9667790600
अनुसंधानकर्ता ASI प्रदीप कुमार - 9873543526

पुलिस चौकी सैक्टर-93
जिला गुरुग्राम

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, कुरुक्षेत्र ।

मुकदमा न. 187 तिथि 26.10.2026
धारा 127 (6) भा.न.स थाना बाबैन ।

गुमशुदा की तलाश



नाम – सोनिया
लिंग – स्त्री
आयु – 31 वर्ष

सोनिया पत्नी प्रवेश कुमार वासी गांव संघोर थाना बाबैन जिला कुरुक्षेत्र की रहने वाली है। जो तिथि 25.10.2026 को अपने घर से बिना बताये कहीं चली गयी है। जिसका रंग गोरा, लम्बूतरा चेहरा, और कद करीब 5 फुट है। जिसने फिरोजी रंग का कमीज व सलवार पहन रखी है। जिसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। जिस भी व्यक्ति को सोनिया पत्नी प्रवेश कुमार के बारे में कोई भी सुचना मिले तो नीचे लिखे नम्बरों पर सूचित करें।

प्रबन्धक थाना बाबैन :- 7056700116
कन्ट्रोल रुम कुरुक्षेत्र :- 01744-222100,233924

अपराधी अभिलेख अधिकारी
कृते पुलिस अधीक्षक, कुरुक्षेत्र

PRDH : 1084/11/5534/2027/50583/67/7

पुलिस थाना सैक्टर 10ए जिला गुरुग्राम

एफआईआर संख्या 438 तिथि 23.06.2026 धारा 127 (6) पुलिस थाना सैक्टर 10 ए जिला गुरुग्राम

गुमशुदा की तलाश



सूचित किया जाता है कि उपरोक्त एफआईआर में गुमशुदा महिला प्रीति देवी पत्नी संजीव कुमार निवासी ग्राम सुतहा थाना तालग्राम जिला कन्नौज यूपी, वर्तमान में किरायेदार मकान मूलचंद गली नंबर 7 ग्राम कादीपुर गुरुग्राम, उम्र 29 वर्ष, जो अपनी बेटी नाम चाँदनी, उम्र 3 वर्ष 6 महीने, के साथ तिथि 19.06.2026 से घर से बिना बताए चली गई है, जिनका हुलिया इस प्रकार है:

हुलिया चाँदनी - रंग गोरा, चेहरा गोल, मोटा शरीर, कद 2 फुट, उम्र साढ़े 3 साल। यदि उपरोक्त लड़की के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो निम्नलिखित नंबरों पर सूचना दें।

प्रबंधक पुलिस थाना सैक्टर 10 ए गुरुग्राम ---9999981836
इंचार्ज पुलिस चौकी सैक्टर 93 गुरुग्राम --9667790600
अनुसंधानकर्ता एएसआई प्रदीप कुमार--9873543526

पुलिस चौकी सैक्टर-93
जिला गुरुग्राम

PRDH : 1084/11/5531/2027/50565/67/4